न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 27/2025

निर्णय दिनांक :–28.11.2025

उनवानी प्रार्थना पत्र

नानूलाल दत्तक पुत्र मूला जाति जाट उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. नगरपालिका देवली जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका देवली जिला टोंक राज0

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–

श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार देवली अप्रार्थी सं0 1
श्री बंशीलाल कलवार
अधिवक्ता अप्राथी सं0 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए.

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे–काश्त की आराजीयात खाता नम्बर 638 खसरा नम्बर 1374 रकबा 0.5100 है0 वाके तनग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। राजस्व रिकार्ड में आराजी खसरा न0 1760 रकबा 1.8900 है0 गै0मु0 रास्ता एवं आराजी भूमि खसरा न0 1356/4785 रकबा 0.1700 है0 सिवायचक भूमि एवं खसरा न0 1369 रकबा 0.0600 है0, खसरा न0 1370 रकबा 0.0500 है0, खसरा न. 1373 रकबा 0.3700 है0 भूमि नगरपालिका के नाम दर्ज है। प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित भूमि पर गै0मु0 रास्ता खसरा न0 1760 से सिवायचक भूमि खसरा न0 1356/4785 के नजदीक नगरपालिका की आराजी भूमि 1369, 1370 एवं 1373 में से होकर आता जाता रहा है तथा बरसो से उपयोग उपभोग करता आ रहा है तथा अपने कृषि संसाधन भी इसी रास्ते से होकर लाता ले जाता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। राजस्व रिकार्ड में आने जाने का रास्ता नही होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अतिक्रमियों द्वारा उक्त कदीमी रास्ता बंद कर दिया गया जिससे प्रार्थी अपनी भूमि को काश्त नही कर पा रहा है।

प्रार्थी को अपनी उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिये गै0मु0 रास्ता खसरा न0 1760 से सिवायचक भूमि खसरा न0 1356/4785 के नजदीक से नगरपालिका की आराजी भूमि 1369, 1370 एवं 1373 में से होकर 30 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी रास्ते की नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाने के लिये तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 ए पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे–काश्त की आराजीयात खाता नम्बर 638 खसरा नम्बर 1374 रकबा 0.5100 है0 वाके तनग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान पर आने जाने के लिये गै0मु0 रास्ता खसरा न0 1760 से सिवायचक भूमि खसरा न0 1356/4785 के नजदीक से नगरपालिका की आराजी भूमि 1369, 1370 एवं 1373 में से होकर 30 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

Ruby

अप्रार्थी न0 1 तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जिस पर अधिवक्ता अप्रार्थी न0 2 द्वारा आपत्ति दर्ज की जाकर प्रार्थना पत्र पुनः मंगवाये जाने तहसीलदार रिपोर्ट पेश की। अधिवक्ता अप्रार्थी की प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर पुनः तहसीलदार रिपोर्ट मंगवाने हेतु क्रमांक : 473 दिनांक 6.10.2025 को लिखा गया। तहसीलदार देवली द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट क्रमांक 974 दिनांक 30.10.2025 को भिजवाई गई जो शामिल पत्रावली की गई।

अप्रार्थी न0 1 तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार है:–

प्रार्थी की अपनी आराजी पर पहुंचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता अत्यधिक है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई लघुतम दूरी का रास्ता प्रस्तावित नही किया जा सकता। प्रस्तावित रास्ता रिकार्ड खसरा न0 1357 गै0मु0 रास्ते से जुड़ा हुआ है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई चौड़ाई निम्नानुसार है :–

क्र. स.	खसरा नम्बर	लंबाई (मीटर)	चौड़ाई (मीटर)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (है0)
1	1370	50	9.14	457	0.0457
2	1369	55	9.14	502.70	0.05027
3	1373	30	9.14	274.20	0.02742
कुल	3	135	9.14	1233.90	0.12339

प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान डीएलसी दर 1353000/– प्रति0 है0 है जिसकी एक गुणा राशि 166947 रूपये व दुगुनी प्रतिकर राशि 333894 रूपये होगी। प्रस्तावित रास्ते में काम आने वाली भूमि पुराने अजमेर केकड़ी रोड़ से 400 मीटर व कासीर रोड़ (देवलीगांव) से 40 मीटर दूर स्थित है एवं सिंचित है। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी खसरा नम्बर 1356/4785, 1369, 1370, 1373 में से रास्ता चाहता है ख0न0 1356/4785 के लगवा ख0न0 1357 रिकार्डेड रास्ता दर्ज है इसलिये 1356/4785 में से रास्ता प्रस्तावित नही किया गया है। ख0न0 1369, 1370, 1373 में से प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना, पेड़ दीवार इत्यादि नहीं है। अप्रार्थी उक्त रास्ता देने हेतु सहमत नही है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, और डीएलसी की प्रति संलग्न कर रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

प्रतिवादी संख्या 2 नगरपालिका देवली की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र किया गया जो निम्न प्रकार है :– प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 1 प्रार्थी ने जिस तरह से वर्णित किया है, स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 में प्रार्थी ने खसरा न0 1356/4785 रकबा 0.17 है0 को सिवायचक भूमि होना वर्णित किया है, जो गलत है उक्त भूमि प्रतिपक्षी न0 2 नगरपालिका देवली की खातेदारी में दर्ज है। शेष खसरा न0 1369 रकबा 0.06 है0 व खसरा न0 1370 रकबा 0.05 है0 व खसरा न0 1373 रकबा 0.37 है0 भूमि नगरपालिका देवली के नाम दर्ज है। प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 3 जिस तरह से वर्णित किया गया है गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थी ने खसरा न0 1356/4785 को सिवायचक अंकित किया है जबकि उक्त खसरा नम्बर प्रतिपक्षी न0 2 नगरपालिका देवली की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 4 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 5 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 6 जानकारी के अभाव में स्वीकार नही है। उक्त प्रार्थना पत्र में

गयी प्रार्थना भी स्वीकार नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पत्र मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाने जाने की कृपा करे।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जावे तो कोई आपति नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार देवली ने जवाब व रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी संख्या 2 ने कथन किया कि उक्त भूमि जहां से रास्ता प्रस्तावित किया है उसको सिवायचक भूमि होना वर्णित किया है, जो गलत है उक्त भूमि प्रतिपक्षी न0 2 नगरपालिका देवली की खातेदारी में दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाये जाने की कृपा करे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार देवली के जवाब/रिपोर्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार देवली की रिपोर्ट में प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात खाता नम्बर 638 खसरा नम्बर 1374 रकबा 0.5100 है0 वाके तनग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा न0 1370, 1369, 1373 अप्रार्थी सं0 2 के नाम दर्ज है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायोचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि कार्यालय क्रमांक :राजस्व/2025/974 दिनांक 30.10.2025 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार खाता नम्बर 638 खसरा नम्बर 1374 रकबा 0.5100 है0 वाके तनग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में कृषि कार्य हेतु पहुंच मार्ग निम्न प्रकार रहेगा :–

क्र. स.	खसरा नम्बर	लंबाई (मीटर)	चौड़ाई (मीटर)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (है0)
1	1370	50	9.14	457	0.0457
2	1369	55	9.14	502.70	0.05027
3	1373	30	9.14	274.20	0.02742
कुल	3	135	9.14	1233.90	0.12339

उक्त प्रस्तावित रास्ते के कुल क्षेत्रफल 1233.90 वर्गमीटर के लिए वर्तमान डीएलसी दर 1353000/– प्रति0 है0 है जिसकी एक गुणा राशि 166947 रूपये व दुगुनी प्रतिकर राशि 333894 रूपये प्रतिकर राशि जमा राजकोष कर अथवा पुनः वर्तमान में प्रचलित डीएलसी की दुगनी दर से गणना कर राशि जमा राजकोष करे और रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर, नक्शा ट्रेस अनुसार मौके पर तरमीम करे। तत्पश्चात यह राशि सम्बन्धित खातेदार अप्रार्थी संख्या 2 को उसके हिस्से अनुसार संदाय करे । पालना रिपोर्ट 30 दिवस में पेश हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 28.11.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

उपखण्ड अधिकारी
देवली